न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 112/2023

1. ओमप्रकाश पुत्र मनीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल. एन.पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. बृजलाल पुत्र मनसाराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. राजेन्द्रप्रसाद पुत्र मनीराम, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल.एन.पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. रामकुमार पुत्र रामचन्द्र, जाति कुम्हार, निवासी चक 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. सावित्रीदेवी पत्नी स्वः पृथ्वीराज, जाति ब्राहम्ण, निवासी चक 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्री गंगानगर
2. स्टेट आफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

– –अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1.	श्री प्रदीप सिहाग अधिवक्ता	– – प्रार्थीगण
2.	श्री रणजीत सारडीवाल	– – अप्रार्थी संख्या 1
3.	पैरोकार राज	– – अप्रार्थी संख्या 2

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–28.11.2024

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के नाम चक 6 एल.एन.पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के संयुक्त खाता संख्या 73/65 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 4 ता 7 सालम, किला नम्बर 14 ता 17 सालम एवं किला नम्बर 24 व 25 सालम यानि कुल 2.530 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी सलंग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम चक 6 एल. एन. पी, तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 130/106 के मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 19 सालम, किला नम्बर 21/1

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

Scanned with CamScanner

किला नम्बर 1 4ता 1 7 सालम किला नम्बर 24 व 25 सालम यानि 2. 530 है. नहरी रकबा से कोई विरोध नही है। प्रार्थनापत्र की मद सं0–4 निराधार एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है प्रार्थीगण ने आज तक मुझ अप्रार्थी सं.1 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में से होकर कभी भी आवागमन नही किया है तथा मौके पर नरमा की फसल काश्त है क्योंकि प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में चल रहे सरकारी रास्ते (पक्की सड़क) से इसी मुरबा नं. 14 के किला नम्बर 1 ता 5मे से होकर वर्षो से आवागमन कर रहे है तथा पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिए मुझ अप्रार्थी सं. 1 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में प्रस्तावित रास्ता संचालित होने का सवाल ही पैदा नही हो सकता प्रार्थीगण जिस किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर अपने खेत में आवागमन कर रहे है जोकि निकटतम रास्ता है जबकि सुविधाजनक रास्ते का कोई प्रावधान नही है मेरी कृषि भूमि में तो पहले से मौके पर किला नम्बर 21/2 ता 25/2 में 2–2 बिस्वा रकबा पर सरकारी खाला चल रहा है इतना ही नही मेरे किला नम्बर 25 में पक्का नाका व रास्ता भी पहले से स्वीकृत है तथा सिंचाई के लिए दूसरे सहहिस्सेदार काश्तकार के लिए आड छोड़ी हुई है अर्थात किसी भी सूरत में मेरे खेत में रास्ता देने का सवाल ही पैदा नही हो सकता। प्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद मुझें अनावश्यक तंग परेशान करने के लिए तथा मेरी भूमि कम करने के उददेश्य से मिथ्या तथ्यों पर आधारित निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थनापत्र की मद सं.–5 निराधार एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले खारिज है वास्तव में प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 में चल रहे सरकारी रास्ते से किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर आवागमन कर रहे है तथा पूर्व में आते जातें रहे है तथा आज भी मौके पर आ–जा रहे है प्रार्थीगण को पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये मेरी कृषि भूमि में से सुविधाजनक रास्ता नही दिया जा सकता है, क्योंकि मेरे रकबा में पहले से 2–2 बिस्वा सरकारी खाला चल रहा है तथा पक्का नाका भी स्वीकृत होकर निर्मित है एवं सिंचाई के लिए घरेलू आड भी छोड़ी हुई है अगर चाहा गया प्रस्तावित रास्ता मेरे खेत में से और दिया जाता है तो मेरा खेत ही खराब हो जावेगा जिससे कृषि कार्य करने में व्यवधान पैदा होगा अप्रार्थीया एक विधवा महिला है जिसे अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है ऐसी सूरत में प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। प्रार्थनापत्र की मद सं. –6 निराधार एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले खारिज है जब प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 में चल रहे सरकारी रास्ते से होकर किला नम्बर 1 ता 5मे से आवागमन कर रहे हैं पूर्व में भी यही से आते जाते रहे है आज भी मौके पर आ जा रहे है मुझ अप्रार्थीया सं. 1 के खेत में से होकर कभी भी आवागमन नही किया है जब रास्ता ही संचालित नही है तो 2–2 बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने का सवाल भी नही पैदा होता इसलिए प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। प्रार्थनापत्र की मद सं.–7 निराधार एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित होने के कारण काबिले खारिज है जब प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 में चल रहे सरकारी रास्ते से किला नम्बर 1 ता 5 में से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

आवागमन कर रहे है तथा मौके पर आ जा रहे है भू.अ. निरीक्षक रामनगर की मौका रिपोर्ट में इसी वैकल्पिक रास्ता से आवागमन करने का उल्लेख है मेरे खेत में से होकर कभी भी आवागमन नही किया है ना ही कभी मिले है वादकारण के बिना ही प्रार्थनापत्र कारण काबिले खारिज है। अतिरिक्त कथन– प्रार्थीगण अपने खेत में आबादी भूमि से चिपते हुए मुरबा नं. 14 में चल रहे. सरकारी रास्ते से होकर किला नम्बर 1 ता 5 मे से होकर पूर्व से पश्चिम दिशा आवागमन कर रहे है पूर्व में भी आते जाते रहे है आज भी मौके पर आ जा रहे है अर्थात निकटतम वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण मेरे खेत में से रास्ता लेने का अधिकारी नही है इसी आधार पर प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है। प्रार्थीगण ने सरकारी रास्ते से होकर किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर हमेशा से आवागमन करते रहे है यानि रास्ता की आत्यांतिक आवश्यकता नही है तथा वैकल्पिक व्यवस्था होने के कारण एवं सुविधाजनक रास्ता नही दिया जा सकता यानि कानूनी बिन्दूओ के आधार पर ही प्रार्थनापत्र काबिले खारिज है। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय हलफनामा प्रस्तुत कर श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की गई। **वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि** प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने हेतु रास्ता का अभाव है। तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी के पास रास्ता का अभाव रास्ता स्वीकृत स्वीकृत किया जावे। **वकील अप्रार्थी की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14के किला नम्बर 5,6,15,16,25 में चल रहे सरकारी रास्ते (पक्की सड़क) से इसी भुरबा नं. 14 के किला नम्बर 1 ता 5मे से होकर वर्षो से आवागमन कर रहे है तथा पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिए मुझ अप्रार्थी सं. 1 के किला नम्बर 21/1 ता 25/1 में प्रस्तावित रास्ता संचालित होने का सवाल ही पैदा नही हो सकता प्रार्थीगण जिस किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर अपने खेत में आवागमन कर रहे हैं जोकि निकटतम रास्ता है जबकि सुविधाजनक रास्ते का कोई प्रावधान नहीं है मेरी कृषि भूमि में तो पहले से मौके पर किला नम्बर 21/2 ता 25/2 में 2–2 बिस्वा रकबा पर सरकारी खाला चल रहा है इतना ही नही मेरे किला नम्बर 25 में पक्का नाका व रास्ता भी पहले से स्वीकृत है तथा सिंचाई के लिए दूसरे सहहिस्सेदार काश्तकार के लिए आड छोड़ी हुई है अर्थात किसी भी सूरत में मेरे खेत में रास्ता देने का सवाल ही पैदा नही हो सकता। प्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद मुझें अनावश्यक तंग परेशान करने के लिए तथा मेरी भूमि कम करने के उददेश्य से मिथ्या तथ्यों पर आधारित निराधार प्रार्थनापत्र पेश किया है जो काबिले खारिज है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 में चल रहे सरकारी रास्ते से किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर आवागमन कर रहे है तथा पूर्व में आते जातें रहे है तथा आज भी मौके पर आ–जा रहे है। प्रार्थीगण को पहले से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये मेरी कृषि भूमि में से सुविधाजनक रास्ता नही दिया जा सकता है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी द्वारा बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त – 2016(1) RRT 649, 2017(1) RRT 423, 2018-19(Supp.) RRT 576 पेश किये गये।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। तहसीलदार श्रीगंगानगर प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता और वैकेल्पिक रास्ते के अभाव के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिए मुरबा नं. 14 में चल रहे सरकारी रास्ते से किला नम्बर 1 ता 5 में से होकर आवागमन कर रहे है। प्रार्थीगण के पास वैकेल्पिक रास्ता मौजूद है। वैकेल्पिक रास्ता होने से प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता नहीं हे। अतः उक्त बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी. ए. न्यायालय स्वीकार योग्य नहीं पाता है।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with CamScanner